न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला– चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या वाद –05/2024

अनवान

मुरलीधर पुत्र मदनलाल लखारा जाति लखारा उम्र 58 वर्ष निवासी ब्लॉक नं 01 क्वाटर नं 02 हैवी वाटर कॉलोनी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
......................वादीगण

बनाम

1. अंकित पुत्र कृष्णहरि जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी ग्राम झालरबावडी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
2. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, रावतभाटा, तहसील कार्यालय, रावतभाटा।
..................प्रतिवादीगण

(वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)
उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौड अभिभाषक वादी।
पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक– 23.07.2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बाडौलिया प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा में स्थित होकर खाता संख्या 97 आराजी संख्या 251/184 व 257/186 कुल किता 02 कुल रकबा 0.22है0 जमीन है। यह जमीन वादी की है वादी इस जमीन पर काश्त कर रहा है तथा उक्त जमीन पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मुझ वादी के बडे भाई स्व0 बृजमोहन लखारा के वारिसानों के नाम पर ग्राम बाडौलिया में मुझ वादी के खाता संख्या 97 के पडौसी खाता संख्या 78 जिसकी खसरा संख्या 250/184, 256/184 जो कि उनके वारिसान के नाम पर दर्ज रिकार्ड है, उक्त आराजी का जरिये विक्रय पत्र उनके वारिसानों द्वारा प्रतिवादी अंकित पुत्र कृष्णहरि के नाम पर दिनांक 11.10.2023 को विक्रय कर दिया गया है, जिसका नामान्तरण दिनांक 11.10.2023 को खुल चुका है, प्रतिवादी अंकित पुत्र कृष्णहरि द्वारा क्रय किये गये खसरा संख्या 250/184, 256/184 पर बाउण्ड्रीवाल न कर मुझ वादी के खसरा संख्या 251/184 व 256/186 कुल 0.22है0 रकबा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कच्चे पत्थरों की चुनाई कर ली है तथा वादी की जमीन को जबरन खुर्द बुर्द कर रहा हे तथा प्रतिवादी वादी खाते की जमीन पर चार दिवारी बना ली है इसलिए प्रतिवादी को बेदखल किया जाना आवश्यक है। अन्त में वादी द्वारा वादी के खाते की ग्राम बाडौलिया प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा में स्थित है जिसके खाता संख्या 97 आराजी संख्या 251/184 व 257/186 कुल किता 02 कुल रकबा 0.22है0 जमीन है प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा वादी को मध्यवर्ती लाभ भी दिलवाया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब कर जवाब हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को न्यायालय द्वारा 13.03.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या 01 स्वीकार योग्य है। प्रतिवादी द्वारा ग्राम बाडोलिया प0ह0 बाडौलिया के खाता संख्या 78 व खाता संख्या 97 लगभग आधी भूमि पर कच्ची पत्थर कोट कर रखी है। उक्त आधी भूमि पर वादी के कब्जे में खाली पडत पडी हुई है और आधी भूमि पर प्रतिवादी ने पत्थर की कच्ची कोट कर रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.08 14:07:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

वादी ने वाद पत्र के कथन की पुष्टि में दस्तावेजी सबूत के रूप में वादी मुरलीधर पुत्र मदनलाल लखारा जाति लखारा द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों को प्रदर्श कराया गया। वादी द्वारा ग्राम बाडौलिया पटवार हल्का बाडोलिया की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खसरा संख्या 251/184, 257/186 कुल किता 02 कुल रकबा 0.22है0 प्रस्तुत की जो प्रदर्श पी–1 है। प्रतिवादी अंकित शर्मा के नाम खोला गया नामान्तरण प्रदर्श–2 है। वादी द्वारा जमाबंदी सम्वत 2076–79 ग्राम बाडौलिया खसरा संख्या 250/184, 256/186 प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–3 है। तहसीलदार रावतभाटा का जवाब मय पटवार हल्का रिपोर्ट प्रदर्श–4 है। प्रतिवादी अंकित शर्मा द्वारा मुझ वादी के खातेकाश्त की जमीन पर कब्जा कर जबरन खुर्द बुर्द किया जा रहा है जिसे बेदखल करने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र का कोई खंडन प्रस्तुत नहीं होने से तनकियात कायम करने की आवश्यकता न होने से प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई।

हमने वादपत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीगण का शान्तिपूर्ण ढंग से उपयोग उपभोग चला आ रहा था, किन्तु दिनांक 21.05.2024 को रिपोर्ट प0ह0 बाडौलिया द्वारा पेश होने पर रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा वादी की जमीन पर होना बताया है। अब प्रतिवादीगण वादीगण को उनके खातेदारी की आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा होकर वादीगण की आराजीयात को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त कब्जे से हटने को कहा तो प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से साफ इनकार कर दिया। अन्त में वादी का वाद स्वीकार फरमा वादीगण के खातेदारी की आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे से हटा कब्जा वादी को सुपुर्द कराया जाकर वादी को मौके पर संभलाया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम बाडौलिया की जमाबन्दी के अवलोकन से ग्राम बाडौलिया की खाता संख्या 97 खसरा संख्या 251/184, 257/186 रकबा 0.22 हेक्टर के खातेदार के रूप में मुरलीधर पुत्र मदनलाल हिस्सा पूर्ण जाति लखारा सा. रावतभाटा के नाम खातेदार का अंकन होकर उक्त आराजीयात वादी के नाम खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिससे वादी उक्त आराजीयात के खातेदार होना प्रमाणित है। वादी का कथन है कि उक्त खातेदारी की आराजीयात में प्रतिवादी ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है जिसका कब्जा पुनः वादी को सुपुर्द किया जावे, यदि प्रतिवादी ने वादी को उनके खातेदारी अधिकार की आराजीयात से जबरन बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से वादी का वाद बाबत ग्राम बाडौलिया प0ह0 बाडौलिया की विवादित खसरा संख्या 251/184, 257/186 रकबा 0.22 हेक्टर के कब्जेयाबी व प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का का वाद पत्र बाबत ग्राम बाडोलिया की खसरा संख्या 251/184, 257/186 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि पर कब्जेयाबी बेदखल करने का स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा यदि पाया जाता है, तो प्रतिवादी सख्या 01 के विरुद्ध बेदखली के आदेश दिये जाकर प्रतिवादी संख्या 01 को बैदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को सुनाया गया। निर्णय की डिक्री जारी की जावे तथा खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.08 14:07:02 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा